नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
मे जारी हुए

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा जिला – उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– विनोद कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या– 54 / 2012 रा.वा. दायर दिनांक–20.04.2012
फैसल दिनांक–17 .12.2018

1. श्री सवजी पिता स्व. श्री सुरमा डामोर निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री सोमा पिता स्व. श्री काउवा डामोर निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री बंशी पिता स्व. श्री काउवा डामोर निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री बाबुलाल पिता स्व.श्री काउवा डामोर निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती खातरी पत्नी स्व. श्री काउवा डामोर निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर

– वादीगण–

बनाम

1. श्री वीरजी पुत्र स्व. श्री सुरमा डामोर निवासी बंजारिया तहसील खरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री रामजी पुत्र स्व. श्री सुरमा डामोर निवासी बंजारिया तहसील खरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री गौतम पुत्र स्व. श्री सुरमा डामोर निवासी बंजारिया तहसील खरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री अर्जुन पुत्र स्व श्री सुरमा डामोर निवासी बंजारिया तहसील खरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा, जिला उदयपुर (राज.)

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53–188 रा.का. अधिनियम 1955

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण सं.1, वादीगण सं. 2 [illegible] 4 के पिता स्व. श्री काउवा डामोर व वादीगण सं. 5 के पति स्व. श्री काउवा डामोर एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बन्जारिया [illegible] मंडल खेरवाडा की जमाबंदी संवत 2064–2067 के खाता नंबर 290 नई व 311 पुराना [illegible] आराजी नंबर – 1579 / 0.19, 1580 / 0.01, 1581 / 0.15, 1582 / 0.43, 1583 / 0.05, [illegible] / 0.20, 1791 / 0.02, 1792 / 0.01,1794 / 0.01,1795 / 0.10,1833 / 0.22,1837 / 0.21, [illegible] / 0.09, 1842 / 0.03, 1843 / 0.01, 1847 / 0.03, 1859 / 0.09, 1936 / 0.62, 1937 / 0. [illegible] / 0.09, 1944 / 0.06, 1945 / 0.27, 1946 / 0.08, 1948 / 0.02, 1949 / 0.01, [illegible] / 0.12, 1958 / 0.46, 1959 / 0.03, 1967 / 0.05, 1968 / 0.05, 1970 / 0.17,

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

1792/0.59 कुल किता 32 रकबा 4.58 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि का खातेदार स्व. श्री सुरमाजी है जिनके 6 पुत्र है। उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर स्व. श्री सुरमा के 6 पुत्रों द्वारा अपने पिताजी के जीवन काल में ही मौके पर आपसी सहमति से सभी को मौखिक बंटवाडा हिस्सा माफिक 1/6 हिस्सा कर दिया गया था। मौखिक बंटवारा के अनुसार ये सभी मौके पर काबिज कास्त हेकर खेती कर फसल प्राप्त कर अपने–अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है। इन पुत्रों में से श्री काउवा डामोर की मृत्यु हो जाने से उसके हिस्से के उत्तराधिकारी व वैध वारीसान वादी सं. 2 से 4 एवं 5 है । वादीगण सं. 2 से 4 एवं 5 विरासत द्वारा प्राप्त उक्त वर्णित आराजीयात के 1/6 हिस्से में काबिज होकर कृषि कार्य कर बारहमासी फसलों की पैदावार करते है और अपना जीवन यापन करते है। वाद वर्णित आराजीयात के मौके पर वादीगण अपने हिस्से का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहे है जिसमें प्रतिवादीगण भी अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक को उक्त वादवर्णित भूमि का मौके के हिसाब से राजस्व रेकार्ड में 1/6–1/6 हिस्से में पांति बटंवाडा करने हेतु कहा, लेकिन प्रतिवादीगण तैयार नहीं होकर इन्कार कर रहे है तथा वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर पालिया (मेड़) बनाने से प्रतिवादीगण द्वारा रोका जा रहा है एवं झगडा किया जा रहा है। वादीगण वादवर्णित आराजीयात में अपने हिस्से की भूमि के हिस्से की कृशि भूमि में मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पांति बंटवाडा करवाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तामील किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र कुमार मीणा एवं श्री कचरूलाल मीणा ने उपस्थित होकर दिनांक 23.11.2012 को वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए जवाब हेतु मौका चाहा। दौराने कार्यवाही प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 22.03.2013 को जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में तनकीयात कायमी की जाकर उनकी विवेचना की गई। वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जो EX1, EX2, PW1, PW2, PW3, PW4 शामिल साक्ष्य है।

प्रतिवादी को पर्याप्त समय देने के बावजूद साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादी का अवसर बन्द किया गया तथा प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अन्तत में लाई गई।

पत्रावली का विवेचन किया गया। पत्रावली में मौजुद साक्ष्य दस्तावेजों का विवेचन किया गया तथा वादी वकील की बहस सुनकर मनन किया गया।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि पटवारी पटवार मंडल खेरवाडा की जमाबंदी संवत 2064–2067 के खाता नंबर 290 पुराना में वर्णित आराजी नंबर – 1579/0.19, 1580/0.01, 1581/0.15, 1583/0.05, 1585/0.20, 1791/0.02, 1792/0.01,1794/0.01,1795/0. 1837/0.21, 1838/0.09, 1842/0.03, 1843/0.01, 1847/0.03, 1859/0. 1937/0.11, 1941/0.09, 1944/0.06, 1945/0.27, 1946/0.08, 1949/0.01, 1957/0.12, 1958/0.46, 1959/0.03 , 1967/0.05, 1968/0.

[illegible]/1792/0.59 कुल किता 32 रकबा 4.58 हेक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण सं. 1 का 1/6 वादीगण सं. 2 लगायत 5 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक का प्रत्येक का 1/6 –1/6 –1/6 – 1/6 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए मिट्स राउन्ड के आधार पर पांति बटंवाडा प्रस्तावित किया जावे। बंटवाड़ा हेतु तहसीलदार को कोर्ट कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकरान की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावितय [illegible] सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किये जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को पूर्ण रूपेण पालन किया जावें । फीस कमीश्नर वादी मौके पर अदा करें। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के भौतिक रूप से कब्जे अनुसार बटंवाडे में आई भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। प्रारंभिक डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खेरवाडा को भेजा जावे। भौतिक रूप से विभाजन हेतु तहसीलदार खेरवाडा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कोर्ट कमिश्नर की शुल्क राशि 500/–रू. वादी वहन करेगा। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार पालना रिपोर्ट दो प्रतियों में प्रस्तुत करावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)